

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स-0755-2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: <http://ceomadhya Pradesh.nic.in>

फा. क्र. 5/2012/3/1264

भोपाल, दिनांक 23-2-2012

प्रति,


कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (म.प्र)

विषय: फोटो निर्वाचक नामावली, 2013 - फार्मों का मुद्रण ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय पत्र क्रमांक 01/2/बजट/2011-12/5012 दिनांक 14.10.2011 द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली में लगने वाले फार्मों को शासकीय प्रेस से मुद्रण कराने के लिये आवंटन उपलब्ध कराया गया था। उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को कतिपय जिलों द्वारा समर्पण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अतः फोटो निर्वाचक नामावली 2013 के लिये फार्मों की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर आवश्यक फार्मों का मुद्रण जिले में उपलब्ध आवंटन में से तत्काल संभागीय स्तर के शासन क्षेत्रीय मुद्रणालय से करा लिया जाय। जिलों में पर्याप्त संख्या में फार्म उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित कर लें। आगामी फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा फार्मों का मुद्रण कराकर प्रदाय नहीं किया जावेगा।

जिले में फार्मों की कमी न होने पाये यह सुनिश्चित कर लें यदि फार्मों की जिला तहसील व मतदान केन्द्र पर कमी रही तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतएव तत्काल फार्मों के मुद्रण आदेश जारी कर मुद्रणालय से फार्म प्राप्त कर मुद्रण देयक मुद्रणालय से प्राप्त होने पर इसी वित्त वर्ष में तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें जिला जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।


(एस.एस.बंसल)


संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पु. का. क्र. 5/2012/3/1265

भोपाल दि. 023-2-2012

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर शाजापुर को उनके पत्र क्रमांक निर्वाचन/2012/38 दिनांक 14.2.2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।
2. कलेक्टर टीकमगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 25/सा.निर्वा./2012/135 दिनांक 16.2.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल एवं उप नियंत्रक शासन प्रादेशिक मुद्रणालय, रीवा, इंदौर, ग्वालियर को अग्रेषित । कृपया जिलों से फार्मों के मुद्रण की मांग आने पर तत्काल फार्म मुद्रण कर जिलों को उपलब्ध कराकर जिलों को मुद्रण देयक तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि इसी वित्त वर्ष में मुद्रण देयकों का भुगतान किया जा सके ।


(एस.एस.बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश